न्यायालय परगनाधिकारी, नजीबाबाद

वाद संख्या T201514/605/1439 — धारा 143 जैड0ए0एण्ड0एल0आर0एक्ट
मौजा – पर्वतपुर मखदूमपुर — परगना– नजीबाबाद

इस्लामी फण्ड रजि0 नजीबाबाद द्वारा वर्तमान सेक्रेटरी मौ0 अय्यूब पुत्र हाजी अ0 सलाम निवासी मौ0 मुगलूशाह, नजीबाबाद परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर उ0प्र0

बनाम

उ0प्र0 सरकार

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नजीबाबाद की जांच आख्या/संस्तुति दिनांक 07.05.2015 के आधार पर प्रारम्भ हुई, जांच आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पर्वतपुर मखदूमपुर परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर की खतौनी 1419फ0 से 1424फ0 के खाता सं0 171 गाटा सं0 218 रकबा 1.380 हे0 लगान 36.05 रूपये में से 1.223 हे0 लगान 34.30 रूपये भूमि आवेदक के नाम संक्रमणीय भूमिधरी में अंकित है तथा स्थल पर भूमि अकृषिक कार्य में प्रयोग हो रही है तथा मौके पर खाली है। आवेदक की भूमि श्रेणी–1क संक्रमणीय भूमिधर की भूमि है तथा भूमि पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उद्यानीकरण, बागवानी, पशुपालन नही हो रहा है। भूमि पूर्ण रूप से अकृषिक है। अन्त में उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

तहसीलदार नजीबाबाद की जांच आख्या दिनांक 07.05.2015 का परिशीलन किया गया। तहसीलदार नजीबाबाद की आख्या दिनांक 07.05.2015 के आधार पर ग्राम पर्वतपुर मखदूमपुर परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर की खतौनी 1419फ0 से 1424फ0 के खाता सं0 171 गाटा सं0 218 रकबा 1.380 हे0 लगान 36.05 रूपये में से 1.223 हे0 लगान 34.30 रूपये को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार नजीबाबाद/उपनिबन्धक नजीबाबाद को राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाये। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के बाद दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक : 23 –05–2015

(मनोज)
परगनाधिकारी, नजीबाबाद

Scanned by CamScanner